

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/ 1287/2024, लखनऊ दिनांक- 05 नवम्बर .2024

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ झॉसी ने अपने पत्र संख्या 236/2024 दिनांकित 04.11.2024 द्वारा अवगत कराया है कि निकट संबंधी के यहाँ मांगलिक कार्य के आयोजन में सम्मिलित होने के कारण दिनांक 11.11.2024 को झॉसी में गठित युगल पीठ में शामिल होने में असमर्थ हैं।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ झॉसी के उक्त पत्र के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 1196/2024 दिनांक 09.10.2024 द्वारा झॉसी के दो सदस्यीय वार्दों के निस्तारण हेतु दिनांक 11.11.2024 से 13.11.2024 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-05.11.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- झॉसी
- 2- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2 इलाहाबाद।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।